

विषय 1227-PBR-15

प्रति,

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,  
राजस्व मंडल म.प्र.  
ग्वालियर/भोपाल

विषय: सदस्य श्री एम.के. सिंह द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध निगरानी प्रकरण में किये आदेश एवं पुनर्विलोकन में पारित आदेश विषयक।

महोदय,

प्रार्थी श्यामनाथ शर्मा की ओर से निवेदन हैं कि :-

1. यह कि प्रार्थी के निगरानी प्रकरण में न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग द्वारा प्रकरण क्र.91/अपील/13-14 में दिनांक 20.04.2015 को अंतिम आदेश पारित किया था जिसके संबंध में प्रार्थी ने अपने ग्वालियर स्थित अधिवक्ता श्री दिवाकर दिक्षित को फैक्स के माध्यम से केविएट प्रस्तुत करने का निर्देश प्रेषित किया। अधिवक्ता महोदय केविएट प्रस्तुत करने के लिए माननीय मण्डल के कार्यालय पहुँचे तो पता चला की निगरानी पूर्व में प्रस्तुत हो चुकी हैं एवं ग्राह्यतः हेतु माननीय सदस्य महोदय के पास रखी हैं जिन्होंने अधिवक्ता महोदय से व्यक्त किया की वह उपस्थित होकर तुरंत अंतिम तर्क करें। अधिवक्ता महोदय ने तर्क करने के निर्देश ना होने एवं प्रकरण की मूल नस्ती ना होने संबंधित आग्रह किया तो सदस्य महोदय ने इससे इनकार कर तुरंत तर्क श्रवण कर निगरानी में अंतिम आदेश दिनांक 08.05.2015 को पारित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिये। जब की इसके लिये विचारण न्यायालयों के अभिलेख भी तलब नहीं किये।
2. यह कि इस आदेश के विरुद्ध जब पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया तो उसे भी मोशन पर ही सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया। माननीय सदस्य महोदय के अदेशों से प्रतीत होता हैं कि उन्होंने पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश से आदेश पारित कर दिये, जबकी प्रकरण भोपाल जिले का होकर माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार का है ऐसे में माननीय सदस्य महोदय का प्राथमिक तौर पर ही सुन कर अंतिम निराकरण का अधिकार नहीं था। अधिक से अधिक वह अंतरिम आदेश पारित कर सकते थे।
3. ऐसी अवस्था में प्रकरण को स्वप्रेरणा से लेते हुये माननी सदस्य महोदय द्वारा प्रकरण क्र.1007-पी.बी. आर./15 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 एवं पुनर्विलोकर प्रकरण क्र.1072-I/15 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव निवेदन हैं कि उक्त परिस्थिती में प्रकरण को स्वप्रेरणा से यथोचित आदेश पारित करने का कष्ट करे।

स्थान : भोपाल  
दिनांक : 27.05.2015

प्रार्थी  
श्यामनाथ शर्मा  
ई-5/137, अरेरा कॉलोनी भोपाल

Recd 3/4/15

विवाह-1227-PBR/15

श्यामनाथ शर्मा आयु लगभग 44 वर्ष,  
आत्मज श्री एस.एन. शर्मा  
निवासी ई-5/137, अरेरा कालोनी,  
भोपाल

आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन,  
द्वारा कलेक्टर भोपाल
2. राजेश वाधवानी आत्मज स्व. श्री बी.जी. वाधवानी,  
निवासी सी-321, शाहपुरा,  
भोपाल
3. श्रीमति पुष्पा तिवारी पत्नी स्व. श्री शंभुलाल तिवारी  
निवासी ई-107, शिवाजी नगर  
भोपाल
4. संजय पालीवाल आत्मज श्री महेन्द्र पालीवाल,  
निवासी - सीहोर (म.प्र.)  
द्वारा मुख्तारआम- श्रीमति दिशा वाधवानी,  
पत्नी श्री राजेश वाधवानी  
निवासी सी-321, शाहपुरा भोपाल

अनावेदकगण

देवाकर वीर  
11-5-15

11/5/2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 1227-पीबीआर/15

जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

12-8-2015

प्रकरण का आज परीक्षण किया गया । राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण में पूर्व में निर्णय लिया जा चुका है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही आयुक्त के द्वारा की जाना है, अतः यह प्रकरण इसी स्टेज पर नस्तीबद्ध किया जाता है । अभिलेख वापिस भेजे जाये । पक्षकारों को नोट कराया जाये।

  
अध्यक्ष